



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 09 जुलाई, 2026 ई0

आषाढ़ 18, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 236/XXXVI (3)/2026/33 (1)/2026

देहरादून, 09 जुलाई, 2026

### अधिसूचना

### विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026” पर दिनांक 09 जुलाई, 2026 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 13, वर्ष 2026 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

## उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2026

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 13, वर्ष 2026)

उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए,

### अधिनियम

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2026 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

अधिनियम की 2. उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 (जिसे इसमें अनुसूची-2 का संशोधन इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की अनुसूची-2 में क्रम संख्या-09 के पश्चात् क्रम संख्या सहित निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात् :-

| क्र. सं. | विश्वविद्यालय का नाम एवं मुख्य परिसर                                                                             | अधिनियम का नाम                                       | प्रायोजक निकाय                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 10       | जी0आर0डी0 उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, 214-राजपुर रोड, देहरादून।                                                    | उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2026 | गुरु राम दास एजुकेशनल ट्रस्ट, बी-47 ग्रेटर कैलाश, पार्ट-1, नई दिल्ली।            |
| 11       | माउंट वैली विश्वविद्यालय, ग्राम नगारी गांव, पट्टी भवाली एवं ग्राम लवेशाल, पट्टी पश्चिमी छः खाता, भवाली, नैनीताल। | उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2026 | माउंट वैली फाउण्डेशन, नियर देवी मंदिर, भवाली, जिला नैनीताल।                      |
| 12       | तुलाज विश्वविद्यालय, मेहरे का गौंव, धूलकोट, चकराता रोड, सेलाकुई, देहरादून।                                       | उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2026 | ऋषभ एजुकेशनल ट्रस्ट; तुलाज पैलेस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, हरिद्वार रोड, देहरादून।    |
| 13       | शिवालिक विश्वविद्यालय, ग्राम सिंहनीवाला, शीशमबाडा, शिमला रोड, शेरपुर, देहरादून।                                  | उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2026 | रिजान एजुकेशनल सोसाइटी, ग्राम सिंहनीवाला, शीशमबाडा, शिमला रोड, शेरपुर, देहरादून। |

कठिनाइयों के  
निवारण करने की  
शक्तियाँ

3. (1) यदि जी0आर0डी0 उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, देहरादून अथवा माउंट वैली विश्वविद्यालय, नैनीताल अथवा तुलाज विश्वविद्यालय, देहरादून अथवा शिवालिक विश्वविद्यालय, देहरादून की स्थापना के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों: परन्तु यह कि कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से 03 (तीन) वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन किये गये प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

व्यावृत्ति

4. ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,  
सहदेव सिंह,  
प्रमुख सचिव।

### उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य को शिक्षा हब के रूप में विकसित करने और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि देहरादून में "जी0आर0डी0 उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय", नैनीताल में "माउंट वैली विश्वविद्यालय", देहरादून में "तुलाज विश्वविद्यालय", तथा देहरादून में "शिवालिक विश्वविद्यालय," नाम से निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जायेंगे। उक्त विश्वविद्यालयों का लक्ष्य शिक्षा का अभिनवीकरण, अध्यापन और ज्ञानोपार्जन की नवीन पद्धति के लिए और व्यक्तित्व के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त करना, सामाजिक व आर्थिक रूप से वंचित वर्ग को शिक्षा प्रदान करना, राज्य विषयक शोध कार्यों को प्रोत्साहित करना तथा रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है।

2— प्रस्तावित विधेयक {उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026} उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

No. 236/XXXVI(3)/2026/33(1)/2026

Dated Dehradun, July 09, 2026

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2026' (Adhiniyam Sankhya 13, of 2026)

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 09 July, 2026.

**The Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2026**  
**(Uttarakhand Act No. 13 Year, 2026)**

**An**

**Act**

further to amend in the Uttarakhand Private Universities Act, 2023,

Be it enacted by the Uttarakhand Legislature in the Seventy-seventh year of the Republic of India as follows :-

Short title and Commencement 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2026.

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Schedule- 2 in the Act 2. In Schedule-2 of the Uttarakhand Private Universities Act, 2023 (hereinafter referred to as the principal Act), after serial number 09, the following serial numbers with entries shall be inserted, namely :-

| S.No. | Name and Main Campus of the University                                                                                       | Name of Acts                                               | Sponsoring Body                                                                             |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.   | G.R.D. Uttarakhand University, 214 Rajpur Road, Dehradun                                                                     | The Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2026 | Guru Ram Das Educational Trust, B-47 Greater Kailash, Part-1, New Delhi.                    |
| 11.   | Mount Valley University, Village Nagari Gaon Patti Bhowali & Village Lweshal Patti, Pashchimi Chha Khata, Bhowali, Nainital. | The Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2026 | Mount Valley foundation Near Devi Mandir, Bhowali, Distt. Nainital.                         |
| 12.   | Tula's University, Mehre Ka Gaon, Dhoolkot Chakrata Road, Selaqui, Dehradun.                                                 | The Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2026 | Rishabh Educational Trust, Tula's Palace shopping complex, Haridwar Road, Dehradun.         |
| 13.   | Shivalik University, Village Sinhniwala, Shishamwada, Shimla Road, Sherpur, Dehradun.                                        | The Uttarakhand Private Universities (Amendment) Act, 2026 | Rijan Educational Society, Village Sinhniwala, Shishamwada, Shimla Road, Sherpur, Dehradun. |

Power to  
remove  
difficulties

3. (1) If any difficulty arises regarding the establishment of G.R.D. Uttarakhand University, Dehradun or Mount Valley University, Nainital or Tula's University, Dehradun or Shivalik University, Dehradun then the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after expiry of three years from the date of commencement of this Act.

- (2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before the State Assembly as soon as after it is made.

Saving

4. Notwithstanding such amendment anything done or any action taken under the principal Act shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

By Order,

SAHDEV SINGH,  
Principal Secretary.

### Statement of Objectives and Reasons

To encourage the development of the State as an education hub and to promote private sector participation in the field of higher education, it has been decided by the State Government that Private Universities with the name "G.R.D. Uttarakhand University" Dehradun, "Mount Valley University" Nainital, "Tula's University" Dehradun and "Shivalik University" Dehradun, shall be established. The aim of the said Universities is to provide innovation of education, new method of teaching and learning and for the overall development of personality, to provide education to the socially and economically deprived class, to promote State related research programmes and to provide employment resources.

2- The proposed bill {The Uttarakhand Private Universities (Amendment) Bill, 2026} fulfills the above objectives.